

प्रेस नोट / सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-270/2023 दिनांक 28.09.2023)

दिनांक-28.09.2023 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध की गयी कुल कार्यवाही-01

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त काशी पुत्र राजदेव मुसहर साकिन भेड़ी जंगल थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी कर मु0अ0सं0 405/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा छेड़खानी के मुकदमे में एक वांछित व एक अन्य वारण्टी सहित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2023 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 157/2023 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राम बेलाश खरवार पुत्र कुकुर साकिन पखनहा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर व मु0नं0 94/18 मु0अ0सं0 63/18, धारा 147/302/323/504/506/452 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वारंटी सीता राम पुत्र श्यामलाल प्रसाद साकिन खेसिया तिवारी टोला थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. 157/2023 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट
2. मु0नं0 94/18 मु0अ0सं0 63/18, धारा 147/302/323/504/506/452 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार वांछित/वारण्टी-

1. राम बेलाश खरवार पुत्र कुकुर सा0 पखनहा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर (वांछित)
2. सीता राम पुत्र श्यामलाल प्रसाद साकिन खेसिया तिवारी टोला थाना

जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर (वारण्टी)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि श्री अमीन अहमद थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ०नि श्री अमर सिंह थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3. का० विवेक यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
4. का० रामबचन यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

थाना कसया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2023 को थाना कसया पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 371/2023 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोलू उर्फ हण्टर उर्फ हरिकेश गिरी पुत्र ओमप्रकाश गिरी साकिन भैसहा सदर टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०सं० 371/2023 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त:-

गोलू उर्फ हण्टर उर्फ हरिकेश गिरी पुत्र ओमप्रकाश गिरी साकिन भैसहा सदर टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक डा० आशुतोष कुमार तिवारी थाना कसया कुशीनगर
2. उ०नि० श्री विवेक कुमार पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. हे०का० साहिल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. का० रविप्रकाश सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा चोरी की ईट के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-



Edit with WPS Office

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2023 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 385/2023 धारा 323/504/506/379/427/411 भादवि0 व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त रामनरायन पुत्र स्व0 जंगी साकिन सबया आबादकारी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगरको चोरी की 400 पक्का ईट TATA-1 मार्का के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 385/2023 धारा 323/504/506/379/427/411
भादवि0 व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामनरायन पुत्र स्व0 जंगी साकिन सबया आबादकारी थाना ने0नौ0
जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 400 पक्का ईट TATA-1 मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 रामनरेश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
3. का0 राजन चौहान थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
4. म0का0 रेखा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2018 से 2023 तक कुल 251 मुकदमों में बरामद अंग्रेजी, देशी व कच्ची शराब आदि कुल 47,000 लीटर (कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये) को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने- अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री उमेश चन्द्र भट्ट के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पडरौना श्री राजप्रकाश सिंह द्वारा

थाना कोतवाली पडरौना पर वर्ष 2018 से 2023 तक कुल 251 मुकदमों में 47,000 लीटर बरामद अवैध शराब को नष्ट कराने का आदेश मा0 न्यायालय से प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.09.2023 को श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर श्री उमेश चन्द्र भट्ट, अभियोजन अधि० श्री शशिकांत , प्र०नि० श्री राजप्रकाश सिंह मय टीम की उपस्थिति में थाना परिसर में गढ़ा खुदवा कर माल को जे०सी०बी० के माध्यम से कुल 251 मुकदमों में कुल 47,000 लीटर अवैध शराब (अंग्रेजी, देशी, कच्ची इत्यादि) को गढ़े में डलवाकर ऊपर से मिट्टी डालकर नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 251 मुकदमा, तथा 47,000 ली० शराब कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

1. श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर श्री उमेश चन्द्र भट्ट जनपद कुशीनगर
2. श्रीमान शशिकांत अभियोजन अधिकारी पडरौना जनपद कुशीनगर
3. श्री राजप्रकाश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. हे०मो० महेन्द्र नाथ वर्मा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
6. कांस्टेबल मोहरिंद आशीष कुमार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
7. का०मु० सुनील कुमार चौहान थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
8. न्यायालय पैरोकार विनय रामविनय राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
9. न्यायालय पैरोकार पुनीत कुमार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना चौराखास पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2022 से 2023 तक कुल 34 मुकदमों में बरामद कच्ची शराब आदि कुल 482 लीटर (कुल कीमत लगभग 96 हजार 400 रुपये) को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने- अपने मालखाने में आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक चौराखास द्वारा थाना चौराखास

पर वर्ष 2022 से 2023 तक कुल 34 मुकदमों में 482 लीटर बरामद अवैध शराब को नष्ट कराने का आदेश प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 28.09.2023 को श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा, अभियोजन अधि० श्री नवनीत त्रिपाठी, प्र०नि० चन्द्रभूषण प्रजापति मय टीम की उपस्थिति में थाना परिसर में जे०सी०वी० से गढ़ा खुदवा कर माल को जे०सी०बी० के माध्यम से कुल 34 मुकदमों में कुल 482 लीटर अवैध कच्ची शराब को गढ़े में डलवाकर जेसीबी से नष्ट कराकर ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन में दबाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 34 मुकदमा, तथा 482 ली० शराब कुल कीमत लगभग 96 हजार 400 रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

1. श्रीमान क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा जनपद कुशीनगर
2. श्री नवनीत त्रिपाठी अभियोजन अधिकारी न्यायालय कसया जनपद कुशीनगर
3. श्री अनिल कुमार कार्यालय लिपिक न्यायालय कसया जनपद कुशीनगर
4. श्री चन्द्रभूषण प्रजापति प्रभारी निरीक्षक थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
5. श्री रविप्रकाश सिंह उप निरीक्षक थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
6. श्री कैलाश प्रसाद उप निरीक्षक थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
7. हे०मो० गजानन तिवारी थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
8. हे०मो० आशीष कुमार त्रिपाठी थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
7. हे०का० अजय यादव थाना चौराखास कुशीनगर
8. का०मु० संजय यादव थाना चौराखास कुशीनगर
9. का०मु० रजनीश कुमार शर्मा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
9. न्यायालय पैरोकार हे०का० संतोष कुमार यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित व एक अन्य वारण्टी सहित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2023 को थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 115/2023 धारा 395 भादवि० से सम्बन्धित वांछित

अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी नरकहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर व मु०अ०सं० 819/20 धारा 504/506 भादवि० से संबंधित वारंटी रामप्रताप उर्फ भूलन उर्फ भूअर पुत्र बन्धन निवासी दरगौली टोला जरलहिया थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 115/2023 धारा 395 भादवि०
2. मु०नं० 819/20 धारा 504/506 भादवि०

गिरफ्तार वांछित/वारंटी अभियुक्त-

1. सुरेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी नरकहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर निवासी नरकहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर (वांछित)
2. भूलन उर्फ भूअर पुत्र बन्धन निवासी दरगौली टोला जरलहिया थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर (वारंटी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार पटेल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० श्री मनोज द्विवेदी थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
3. उ०नि० श्री शमशेर यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
4. का० संजय यादव द्वितीय थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
5. का० प्रेमशंकर गुप्ता थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
6. का० अमित यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
7. का० विकास यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
8. का० ज्ञानप्रकाश चौहान थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
9. का० विनय कुमार यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म तथा अपहरण के अलग-अलग मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2023 को थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 275/2023 धारा 363/366/376 भादवि० व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सहजाद उर्फ बल्लू पुत्र नसरुद्दीन उर्फ मुल्ला निवासी सखवनिया बुजुर्ग टोला शिवराजपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर तथा मु०अ०सं० 278/2023 धारा 363/366 भा०द०वि० से संबंधित वांछित अभियुक्त कन्हैया कुमार पुत्र नत्थू साकिन

जंगल पचरुखिया फकिरहवा दरोगा जी का टोला थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 275/2023 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व ¾ पावसो एक्ट

2. मु0अ0सं0 278/2023 धारा 363/366 भा0द0वि0

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण-

1. सहजाद उर्फ बल्लू पुत्र नसरुद्दीन उर्फ मुल्ला निवासी सखवनिया बुजुर्ग टोला शिवराजपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

2. कन्हैया कुमार पुत्र नत्थू साकिन जंगल पचरुखिया फकिरहवा दरोगा जी का टोला थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. व0उ0नि श्री रामचन्द्र यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

2. उ0नि श्री रामप्रवेश सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

3. हे0का0 अम्बिका प्रसाद थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

4. का0 अभिषेक यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

5. का0 अवधेश यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

6. का0 विन्देश्वरी राय थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 43 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-09 वाहन

2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-61 व्यक्ति-168

3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)

4- अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध की गयी कुल कार्यवाही-01

5- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-50)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर



Edit with WPS Office